

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश
"ऑडिट भवन", टी सी-35-V-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010
 सं.म.ले.(ले.प.-II)/RTIPrayagraj/C-139689/2 4 3 दिनांक- 17.03.2025
कार्यालय आदेश

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, प्रयागराज द्वारा मार्च-2025 में निम्नलिखित विषय पर (ऑनलाइन) प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु नामित किया गया है:

In March 2025, the Regional Capacity Building & Knowledge Institute, Prayagraj is conducting (Online) trainings on the following subject. The following officers/employees are nominated by the competent authority for participation in the training programmes mentioned below his/her name:

क्र. सं.	प्रशिक्षण का विषय	अवधि	स्लॉट की संख्या	नामित अधिकारी का नाम (श्री)
1.	"Working of PFMS & iBEMS and use of PFMS data in different audit (Online)"	19-03-2025 to 21-03-2025	02	1. Gaurav Khanna, Sr. Auditor 2. Mohan Lal Meena, Sr. Auditor

उक्त प्रशिक्षण में नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होना अनिवार्य है। यदि प्रशिक्षणार्थी किसी आकस्मिक परिस्थितियों के कारण प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं कर पाने की स्थिति में हैं, तो सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन II को उक्त संबंध में तत्काल सूचित करेंगे।

It is mandatory to participate in the training for the officers/ employees nominated in the above training. In case, the trainee is not in a position to participate in the training due to unavoidable reasons the same will be informed immediately to AAO/Admin II before the training starts.

— इस्ना —

वरि. उप महालेखाकार/प्रशा.

सं.म.ले.(ले.प.-II)/RTIPrayagraj/C-139689/ TR- 5172 - 5173 दिनांक- 18.03.2025
 प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

1. सचिव, महालेखाकार प्रकोष्ठ (लेखापरीक्षा-II), उ०प्र०, लखनऊ
2. व. उपमहालेखाकार/ प्रशासन एवं ए.एम.जी.-II
3. व. उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-III
4. उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-IV
5. व०ले०प०अ०/ए.एम.जी. III/ ए.एम.जी. III/ ए.एम.जी. IV/रिपोर्ट (Revenue)/ रिपोर्ट (PSU & NON-PSU/GD/PC/IT/DCRA-NRA) को इस निर्देश के साथ कि वे प्रशिक्षणार्थियों को सूचित करें कि वे उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित हो।
6. स०ले०प०अ०/आई.टी.सेल, इस आशय के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश की प्रति, कार्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. प्रशिक्षण से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी (ई-मेल द्वारा) को इस निर्देश के साथ कि वे प्रशिक्षण में ऑनलाइन माध्यम से अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें।
8. नोटिस बोर्ड

Digitally signed by
 Sunil Kumar Pandey
 Date: 17-03-2025
 18:05:36
 व०ले०प०अ० अधिकारी/प्रशा.